रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936
No. 627] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 846(अ),—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड में तकनीकी सलाहकार, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, उप तकनीकी सलाहकार और सहायक तकनीकी सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महिला और बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(**क**) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(**ख**) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. तकनीकी सलाहकार	01* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रुपये + ग्रेड वेतन 8,700 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
संयुक्त पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो, – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या अनुप्रयुक्त पोषण या खाद्य और पोषण या जीव-रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान या गृह विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डाक्ट्रेट की डिग्री; और (ii) समुदाय पोषण प्रोग्रामों या पोषण और स्वास्थ्य प्रोग्राम की योजना बनाने या पोषण के क्षेत्र में समाघात कारक रखने वाले प्रकाशनों से समर्थित अनुसंधान के क्रियान्वयन में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु. की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले विभागीय संयुक्त तकनीकी सलाहकार भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचारित होंगे और नियुक्ति के लिए उनका चयन किए जाने की दशा में, पद को प्रोन्नति से भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त तकनीकी सलाहकार	01* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रुपये + ग्रेड वेतन 7,600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : उप तकनीकी सलाहकार जिनकी वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु. की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित पोषण या सहबद्ध क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो, –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या अनुप्रयुक्त पोषण या खाद्य और पोषण या जीव-रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान या गृह विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री; और

(ii) समुदाय पोषण प्रोग्रामों या पोषण और स्वास्थ्य प्रोग्रामों की योजना बनाने या पोषण के क्षेत्र में समाघात कारक रखने वाले प्रकाशनों से समर्थित अनुसंधान के क्रियान्वयन में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनिरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 4. निदेशक (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), - सदस्य महिला और बाल विकास मंत्रालय, या तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप तकनीकी सलाहकार	05* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रुपये + ग्रेड वेतन 6,600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : सहायक तकनीकी सलाहकार जिनकी वेतन बैंड-3,15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5,400 रु. की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित पोषण या सहबद्ध क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्रति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, –

(क) (i) जो मूल काडर पर विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5,400 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या अनुप्रयुक्त पोषण या खाद्य और पोषण या जीव-रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान या गृह विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री; और

(ii) समुदाय पोषण प्रोग्रामों या पोषण और स्वास्थ्य प्रोग्रामों की योजना बनाने या पोषण के क्षेत्र में समाघात कारक रखने वाले प्रकाशनों से समर्थित अनुसंधान के क्रियान्वयन में पाँच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हता के रूप में उपरोक्त वर्णित विषयों में से किसी एक में डॉक्ट्रेट की डिग्री।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 3. निदेशक, या उप सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय, या तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार खाद्य और पोषण बोर्ड	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या**	**चयन या**

			वेतनमान	**अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. सहायक तकनीकी सलाहकार	19* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रुपये + ग्रेड वेतन 5,400 रुपये	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य विज्ञान और पोषण या अनुप्रयुक्त पोषण या खाद्य और पोषण या जीव-रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान या गृह विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग या संगठन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में खाद्य और पोषण या अनुप्रयुक्त पोषण या पोषण शिक्षा और प्रसार या समुदाय पोषण के क्षेत्र में तीन वर्ष अनुसंधान या व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेख बद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं। वांछनीय: आवश्यक अर्हता के रूप में वर्णित उपरोक्त विषयों में से किसी एक में डॉक्ट्रेट की डिग्री।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	(i) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं); (ii) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : निदर्शन अधिकारी श्रेणी-1 और रसायनज्ञ श्रेणी-1 जिनकी वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4,600 रु. श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित पोषण या सहबद्ध क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। **टिप्पण 1**: संबंधित श्रेणी या पद के लिए विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के प्रति निदेश की तारीख से अधिकारियों की प्रोन्नति की पात्रता सूची तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4,600 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा है ; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसमें अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), - सदस्य महिला और बाल विकास मंत्रालय 3. निदेशक या उप सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 4. तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार, – सदस्य खाद्य और पोषण बोर्ड समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें : 1. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), - सदस्य महिला और बाल विकास मंत्रालय 3. निदेशक या उप सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 4. तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार, – सदस्य खाद्य और पोषण बोर्ड	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 2-1/2014-एन.ए.]

मनीषा पंवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

G.S.R. 846(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Technical Adviser, Joint Technical Adviser, Deputy Technical Adviser and Assistant Technical Adviser in the Food and Nutrition Board, Ministry of Women and Child Development, namely :–

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Women and Child Development, Food and Nutrition Board (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Technical Adviser	01* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non - Ministerial.	Pay band-4, ` 37,400-67,000/- with grade pay of ` 8,700/-	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By composite method [deputation (including short-term contract)/ promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Composite method: Deputation (including short-term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi- Government or Autonomous or Statutory organisations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 7,600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential: (i) Doctorate degree in Food Science and Nutrition or Applied Nutrition or Food and Nutrition or Bio-Chemistry or Food Technology and Chemical Science or Home Science or Food Science and Technology from a recognised University or Institute; and (ii) ten years' experience in implementing community nutrition programmes or programme planning in nutrition and health or research in the field of nutrition supported with publications having impact factor. **Note 1:** The departmental Joint Technical Adviser in the pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 7,600/- with five years' regular service in the grade shall also be considered along with the outside candidates and in the case such person is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed five years. Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Technical Adviser	01* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, `15,600-39,100/- with grade pay of	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

			` 7,600/-.			

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Deputy Technical Adviser in the pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 6,600/- with five years' regular service in the grade and have undergone training in any recognised institution in nutrition or related fields as prescribed by the Central Government from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organisations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in the pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 6,600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential:** (i) Post Graduate degree in Food Science and Nutrition or Applied Nutrition or Food and Nutrition or Bio-Chemistry or Food Technology and Chemical Science or Home Science or Food Science and Technology from a recognised University or Institute; and (ii) ten years' experience in implementing community nutrition programmes or programme planning in nutrition and health or research in the field of nutrition supported with publications having impact factor. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit

will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Ministry of Women and Child Development - Member 3. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development - Member 4. Director (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development, or Technical Adviser, Food and Nutrition Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Technical Adviser.	05* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 6,600/-.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Assistant Technical Adviser in the pay band-3, ₹ 15,600-39,100/- with grade pay of ₹ 5,400/- with five years' regular service in the grade and have undergone training in any recognized institution in nutrition or related fields as prescribed by the Central Government from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognized research

institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations, -
(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in the pay band-3, ₹ 15,600-39,100/- with grade pay of ₹ 5,400/- or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience.
Essential:
(i) Post Graduate degree in Food Science and Nutrition or Applied Nutrition or Food and Nutrition or Bio-Chemistry or Food Technology and Chemical Science or Home Science or Food Science and Technology from a recognized University or Institute; and
(ii) Five years' experience in implementing community nutrition program or programmer planning in nutrition and health or research in the field of nutrition supported with publications in international or national journals having impact factor.
Desirable:
Doctorate degree from a recognized University or Institute in any of the subjects mentioned above as essential qualification.
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Ministry of Women and Child Development - Chairman 2. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development - Member 3. Director or Deputy Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development, or Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, Food and Nutrition Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Assistant Technical Adviser.	19* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, ` 15,600-39,100/- with grade pay of ` 5,400/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)

Not exceeding 35 years. (Relax able for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Post Graduate degree in Food Science and Nutrition or Applied Nutrition or Food and Nutrition or Bio-Chemistry or Food Technology and Chemical Science or Home Science or Food Science and Technology from a recognized University or Institute; and (ii) Three years' research or practical experience in the field of food and nutrition or applied nutrition or nutrition education and extension or community nutrition in Central Government or any State Government Department or organization or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations. Note 1: The qualifications are relax able at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relax able at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: Doctorate in any of the subjects mentioned above as essential educational qualification.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No.	One year for direct recruits and promo-tees.	(i) 40% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 60% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Demonstration Officer Grade-I and Chemist Grade-I in the pay band-2, ì 9,300-34,800/- with grade pay of ì 4,600/- with three years' regular service in the grade and have undergone training in any recognised institution in nutrition or related fields as prescribed by the Central Government from time to time. **Note 1:** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, ì 9,300-34,800/- with grade pay of ì 4,600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term

contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), - Member Ministry of Women and Child Development 3. Director, or Deputy Secretary - Member (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 4. Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, - Member Food and Nutrition Board Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation) consisting of: 1. Secretary, Ministry of Women and Child Development - Chairman 2. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), - Member Ministry of Women and Child Development 3. Director, or Deputy Secretary - Member (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 4. Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, - Member Food and Nutrition Board	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 2-1/2014-NA]

MANISHA PANWAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 847(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खाद्य और पोषण बोर्ड (वर्ग-2 पद) भर्ती नियम, 1968 और खाद्य विभाग (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड में निदर्शन अधिकारी श्रेणी-।, रसायनज्ञ श्रेणी-।, निदर्शन अधिकारी श्रेणी-2 और रसायनज्ञ श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महिला और बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचित के स्तंभ (2) से सूतंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदर्शन अधिकारी श्रेणी-I	17* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4,600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे निदर्शन अधिकारी श्रेणी-2 जिनकी वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4,200 रु. श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पोषण या संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी सगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंध में या गृह विज्ञान में पोषण विशेषज्ञता के साथ बैचलर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में पोषण शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुकृति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 3. तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड - सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. रसायनज्ञ श्रेणी- I	02* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4,600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर

	होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्त द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे रसायनज्ञ श्रेणी-2 जिनकी वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4,200 रु. श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी सगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जीव रसायन या पोषण प्राद्योगिकी या खाद्य विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री अथवा रसायन विज्ञान या जीव रसायन में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान में बैचलर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन खाद्य विश्लेषण के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस

तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 3. तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड - सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.निदर्शन अधिकारी श्रेणी-2	84* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4,200 रुपये	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(6)	(7)
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंध या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोषण में विशेषज्ञता के साथ गृह विज्ञान में बैचलर डिग्री ; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में पोषण शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए

नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जो लेखबद्ध किए जाये कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को प्रयोगशाला सहायक का पद वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,000 रु. में नियमित आधार पर धारण किए हुए पदधारियों को स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षित अर्हताएं रखने से छूट प्राप्त रहेगी।	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); (ii) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : प्रयोगशाला सहायक जिनकी वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,000 रु. की श्रेणी में पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित पोषण या सहबद्ध क्षेत्रों में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोकक्षेत्र

में उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,800 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय - सदस्य 3. तकनीकी सलाहकार, या संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड - सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. रसायनज्ञ श्रेणी-2	02* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन बैंड-2, 9,300-	लागू नहीं होता

	किया जा सकता है)	समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4,200 रुपये	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(6)	(7)
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या जीव-रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य विज्ञान या खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या जीव रसायन में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान में बैचलर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों में खाद्य विश्लेषण के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2,400 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा है: और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संयुक्त सचिव - अध्यक्ष (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 2. निदेशक या उप सचिव - सदस्य (खाद्य और पोषण बोर्ड का भारसाधक), महिला और बाल विकास मंत्रालय 3. तकनीकी सलाहकार, या - सदस्य संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 2-1/2014-एन.ए.]

मनीषा पंवार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

G.S.R. 847(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Food and Nutrition Board (Class II posts) Recruitment Rules, 1968 and the Department of Food (Class II posts) Recruitment Rules, 1969 except as respects things done or omitted to be done before such supersession,

the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Demonstration Officer Grade-I, Chemist Grade-I, Demonstration Officer Grade-II and Chemist Grade-II in the Food and Nutrition Board, Ministry of Women and Child Development, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Women and Child Development, Food and Nutrition Board (Group 'B' Gazetted and Non Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Demons-tration Officer Grade-I.	17* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, ` 9,300-34,800 with grade pay of ` 4,600/-.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/

of promotees.	any.	absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Demonstration Officer Grade-II in the pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/- with five years' regular service in the grade and have undergone training in any recognized institution in nutrition or related fields as prescribed by the Central Government from time to time. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. (i) Bachelor's degree in Dietetics and Food Service Management from a recognized University or Institute or Home Science with specialization in nutrition from a recognized University or Institute; and (ii) two years' experience in the field of nutrition education and extension in Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), - Chairman	Consultation with the Union Public Service

Ministry of Women and Child Development 2. Director, or Deputy Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 3. Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, Food and Nutrition Board	- Member - Member	Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Chemist Grade-I.	02* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,600/-.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 50% by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Chemist Grade-II in the pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/- with five years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for their promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. (i) Bachelor's degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Food Technology or Food Science or Food Science and Technology from a recognized University or Institute or Bachelor's degree in Science with specialization in Chemistry or Bio-Chemistry; and (ii) two years' experience in the field of food analysis in Central Government or State Government or University or

recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development - Chairman 2. Director, or Deputy Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development - Member 3. Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, Food and Nutrition Board - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.Demonstration Officer Grade-II.	84* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-	Essential: (i) Bachelor's degree in Dietetics and Food Service Management from a recognised University or Institute or Home Science with specialisation in nutrition from a recognised University or Institute; and (ii) two years' experience in the field of nutrition education and extension in Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organisations. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates

Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age: No Educational Qualifications: Yes The incumbents holding the posts of Laboratory Assistants in the pay band-1, ` 5,200-20,200/- with grade pay of ` 2,000/- on regular basis on the date of notification of these rules shall be exempted from the requirement of possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Two years for direct recruits and promotees.	(i) 25% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 75% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Laboratory Assistants in the pay band-1, ` 5,200-20,200/- with grade pay of ` 2,000/- with fifteen years' regular service in the grade and have undergone training in any recognized institution in nutrition or related fields as prescribed by the Central Government from time to time. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organisations, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-1, ` 5,200-20,200/- with grade pay of ` 2,800/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56

years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion and confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (in-charge of the Food and Nutrition Board), - Chairman Ministry of Women and Child Development 2. Director, or Deputy Secretary - Member (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 3. Technical Adviser, or Joint Technical Adviser, - Member Food and Nutrition Board	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Chemist Grade-II.	02* (2014). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, ` 9,300-34,800/- with grade pay of ` 4,200/-.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor's degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Food Technology or Food Science or Food Science and Technology from a recognized University or Institute or Bachelor's degree in Science with specialization in Chemistry or Bio-Chemistry from a recognized University or Institute; and (ii) two years' experience in the field of food analysis in Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations. Note 1: The qualifications are relax able at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relax able at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be

	available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-1, ` 5,200-20,200/- with grade pay of ` 2,400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary - Chairman (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 2. Director, or Deputy Secretary - Member (in-charge of the Food and Nutrition Board), Ministry of Women and Child Development 3. Technical Adviser, or - Member Joint Technical Adviser, Food and Nutrition Board	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2-1/2014-NA]

MANISHA PANWAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.